

(१६)

बिहार सरकार राजस्त्र एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना १५, दिनांक—मुंगेर २१-६-५०

एस० ओ० २। रा०। ८० चूँकि इसके साथ अनुबद्ध तालिका के स्तम्भ-१ में उल्लिखित भू-धारक द्वारा धारित भूमि के संबंध में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम (बिहार लैण्ड रिफोर्स फिक्शंसन ऑफ सीलिंग एरिया एण्ड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैण्ड) १९६१ (बिहार अधिनियम १२, १९६२) की धारा -११ के उप-धारा (१) के अधीन विवरण अंतिम रूप में प्रकाशित हो चुका है,

और, चूँकि उक्त विवरण के उक्त तालिका के स्तम्भ-२ से ६ तक में वर्णित भूमि अधिशेष भूमि के रूप में दिखायी गयी है,

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की उप-धारा-१५ की उप-धारा (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, उक्त अधिनियम का अधिनियम के प्रयोगनार्थ उक्त अधिशेष भूमि जो लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्जित करते हैं।

ता लिका

अधिशेष भूमि का ब्योरा

भूधारी का नाम, पिता का नाम और पता।	गाँव	खाता नं०	प्लॉट नं०	क्षेत्रफल एकड़-डिसमल	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६

महंथ कमला पतिदास

रौत

७२

२५०८

०-४१

चेला—महंथ घानादास

४७

२८६६

०-०२

सा०—रौत

कुल :—०-४३ डी०

थाना—अलौली

(तालास डीसमील) मात्र।

जिला—मुंगेर।

संचिका संख्या ६। सी०-२०-१०।७६

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

शिव प्रिय

सरकार के संयुक्त सचिव।

(१५)

54

बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

पटना १५, दिनांक मुं० २१-६-६०

एस० एम० अधिसूचना संख्या २/रा०/६० एस० एम० दिनांक २१-७-६० का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

(सचिका संख्या ६।सीलिंग—२०-१०-७६)

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

शिव प्रिय २६-५-६०

सरकार के संयुक्त सचिव ।

NOTIFICATION.

N. O, 2/ R /80 WHEREAS a statement under Sub-Section [1] of Section 11 of the Bihar Land Reforms [Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land] Act, 1961 [Bihar Act. 12, of 1961] with regard to the land held by the land-holder mentioned in column 1 of the Table here to annexed has been finally published.

And here is in the said statement the land described in column 2 to 6 of the said Table have been shown as surplus land-NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-Section [1] of Section 15 of the said Act, the Governor of Bihar is pleased to accuire for the purpose of the said Act, the said surplus land which is required for public purposes.

SCHEDULE.

Details of exempted land.

Sl. No.	Name of Religious institution with full address.	Village.	Khata No.	Plot No.	Area. Acre-Decimal.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Mahanth Kamapati Das		Raun	72	2808	0.41
Chela-Mahanth Chana Das			47	2896	0.02

Vill:—Raun

P. S. -Alouli.

Distt:—Monghyr,

Total:— 0.43 decimals.

(Total Forty three decimals) only

File No, 6/C-20-10/79

By order of the Governor of

Bihar

Shiva Priya

Joint Secretary to Govt.

SCHEDULE U.